डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 479 / 2025

अमनदीपकौर पत्नी देवेन्द्र सिह पुत्री स्व. गुरदीपसिह जाति जटसिख्र वार्ड नं. 10 संगरिया

वादी

बनाम

1. चरणजीत कोर पत्नी स्व.गुरदीप सिह पुत्र स्व.जगराज सिह जाति जटसिख वार्ड संख्या 10 शेरगढ़ तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुरदेव कौर पत्नी जगराज सिह जाति जटसिख वार्ड संख्या 10 शेरगढ़ तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप सिह संरा वकील वादीया मिन जानिब मुदायला जामिन मुदई श्री राधेश्याम झोरड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिंक्री दी जाती है कि चक 13 एमकेएस के खाता संख्या 79 / 55 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 मे मृतक गुरदीप सिह पुत्र जगराज सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि की वादीया अमनदीप कौर पत्नी देवेन्द्र सिह पुत्री स्व. गुरदीप सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गुरदीप सिह पुत्र जगराज सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज......x......नल......x......मुब्लिक......x......निल......x......बाबत्......x......निल......x......सभी मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......x...... अदा करें।

वराव्ता मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......7.10.2025......को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया